

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर, पटना/
शहीद खुदी राम बोस केन्द्रीय कारा मुजफ्फरपुर/
केन्द्रीय कारा बक्सर/शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा भागलपुर/
केन्द्रीय कारा गया/विशेष केन्द्रीय कारा भागलपुर/
केन्द्रीय कारा मोतिहारी/केन्द्रीय कारा पूर्णियाँ/
मंडल कारा, गोपालगंज/बेतिया/खगड़िया/आरा/औरंगाबाद/
समस्तीपुर/सीतामढ़ी/नवादा/बिहारशरीफ/छपरा/हाजीपुर/
मधुबनी/सासाराम/बेगूसराय/फुलवारीशरीफ/दरभंगा/कटिहार/
मुंगेर/सहरसा/मधेपुरा/सीवान/जहानाबाद/किशनगंज/अररिया/
महिला मंडल कारा, भागलपुर/सुपौल/लखीसराय/जमुई/भभुआ/
बांका/शेखपुरा/शिवहर/उपकारा,बाढ़/पटनासिटी/दानापुर/रोसड़ा/
हिलसा/मसौढ़ी/बगहा/बेनीपुर/झंझारपुर/शेरघाटी/बिक्रमगंज/बक्सर/
नवगछिया/दलसिंहसराय/दाउदनगर/उदाकिशनगंज।

पटना, दिनांक-30/03/2017

विषय:- राज्य योजना वित्तीय वर्ष-2016-17 अन्तर्गत राज्य की विभिन्न 56 काराओं में ईमरजेन्सी लाईट क्रय हेतु ₹55,41,415 (पचपन लाख एकतालीस हजार चार सौ पन्द्रह रुपये मात्र) की लागत पर क्रय करने के लिए आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-18/2016-423/वि0 दिनांक-31.03.2016, पत्रांक-एम0-4-09/2014-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016 तथा स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में राज्य योजना 2016-17 के अन्तर्गत मांग सं0 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-052-मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष-0101-काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड-P4070000520101 राज्य योजना स्कीम कोड-HOM-5424, विषय शीर्ष-52 01-मशीनें एवं उपस्कर के अन्तर्गत ₹55,41,415 (पचपन लाख एकतालीस हजार चार सौ पन्द्रह) रुपये मात्र की लागत पर राज्य की विभिन्न 56 काराओं में ईमरजेन्सी लाईट क्रय हेतु आवंटन की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है :-

क्र	कारा का नाम	राशि
1	शहीद जु०स०के०कारा, भागलपुर	240000
2	मंडल कारा, बेगूसराय	165000
3	मंडल कारा, खगड़िया	132000
4	मंडल कारा, बांका	70000

5	महिला मंडल कारा, भागलपुर	24000
6	उपकारा, नवगछिया	60000
7	विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर	195000
8	मंडल कारा, लखीसराय	50000
9	मंडल कारा, मुंगेर	60000
10	मंडल कारा, जमुई	112500
11	मंडल कारा, शेखपुरा	50000
12	आदर्श केन्द्रीय कारा, बेरुत	430000
13	शिविर मंडल कारा, फुलवारीशरीफ	100000
14	मंडल कारा, हाजीपुर	150000
15	मंडल कारा, बिहारशरीफ	150000
16	उपकारा, बाढ़	80000
17	उपकारा, मसौढ़ी	100000
18	उपकारा, पटना सिटी	30000
19	उपकारा, दानापुर	30000
20	उपकारा, हिलसा	70000
21	केन्द्रीय कारा, गया	320000
22	मंडल कारा,, नवादा	100000
23	मंडल कारा, औरंगाबाद	100000
24	मंडल कारा, जहानाबाद	100000
25	उपकारा, शेरघाटी	60000
26	उपकारा, दाउदनगर	40000
27	मंडल कारा, आरा	100000
28	केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ	58500
29	केन्द्रीय कारा, बक्सर	155000
30	मंडल कारा, भभुआ	38000
31	मंडल कारा, सासाराम	125000

32	उपकारा, बक्सर	15500
33	उपकारा, बिक्रमगंज	40000
34	केन्द्रीय कारा, मोतिहारी	108750
35	मंडल कारा, छपरा	72000
36	मंडल कारा, सिवान	80000
37	मंडल कारा, गोपालगंज	149940
38	मंडल कारा, बेतिया	125700
39	उपकारा, बगहा	127500
40	मंडल कारा, मधेपुरा	33000
41	उपकारा, उदाकिशुनगंज	33000
42	मंडल कारा, किशनगंज	59250
43	मंडल कारा, कटिहार	100000
44	मंडल कारा, अररिया	36000
45	मंडल कारा, सहरसा	84000
46	मंडल कारा, सुपौल	353500
47	शहीद खुंबोकेकारा, मुजफ्फरपुर	195000
48	मंडल कारा, मधुबनी	92750
49	मंडल कारा, सीतामढ़ी	66250
50	मंडल कारा, समस्तीपुर	66250
51	मंडल कारा, दरभंगा	39750
52	मंडल कारा, शिवहर	59625
53	उपकारा, बेनीपुर	26500
54	उपकारा, दलसिंहसराय	26500
55	उपकारा, रोसड़ा	39750
56	उपकारा, झंझारपुर	15900
कुल योग		5541415

(पचपन लाख एकतालीस हजार चार सौ पन्द्रह रुपये मात्र)

2. उपर्युक्त आवंटित राशि ₹55,41,415 (पचपन लाख एकतालीस हजार चार सौ पन्द्रह) रुपये मात्र का व्यय राज्य योजना अन्तर्गत मांग सं० 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-052-मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष-0101-काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड-P 4070000520101 स्कीम कोड-HOM. 5424, विषय शीर्ष-52 01. मशीनें एवं उपस्कर के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

3. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित काराधीक्षक होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार की जाएगी।

4. संबंधित अधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि वे बिहार वित्त नियमावली-2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपरोक्त सामग्रियों का क्रय एवं अधिष्ठापन सुनिश्चित करेंगे।

5. योजना के लिये स्वीकृत्यादेश पत्र संख्या-1492 दिनांक-30.03.2017 द्वारा निर्गत है।

6. योजना को ससमय कार्यान्वित कराने का दायित्व संबंधित काराधीक्षकों का होगा, जो योजना को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराकर प्रधान सचिव, गृह विभाग एवं महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार को प्रतिवेदित करेंगे।

विश्वासमयोजन

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

चन्द्र देव राम मो. जमालुद्दीन अख्तरी 21.4.2017
संपदा

ज्ञापांक:- कारा/भवन-24/2016...128

पटना, दिनांक:- 30.3 2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

चन्द्र देव राम मो. जमालुद्दीन अख्तरी 21.4.2017
संपदा

ज्ञापांक:- कारा/भवन-24/2016...128

पटना, दिनांक:- 30.3 2017

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

चन्द्र देव राम मो. जमालुद्दीन अख्तरी 21.4.2017
संपदा

ज्ञापांक:- कारा/भवन-24/2016...128

पटना, दिनांक:- 30.3 2017

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग/ आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

चन्द्र देव राम मो. जमालुद्दीन अख्तरी 21.4.2017
संपदा